# श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ

(मानितं विश्वविद्यालय)

बी–4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110 016

क्र:ला.ब.शा. / राज भाषा / 2019–20 / 2063 दिनांक 19.02.2020 03.03.2020

## कार्यालयीय –आदेश

निदेशक, राजभाषा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजभाषा प्रभाग भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001 के पत्र दिनांक 11,02.2020 के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले सभी कागजात अनिवार्यतः द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में साथ–साथ जारी किए जाएं।

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इस उपधारा के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, तथा अन्य रिपोर्ट नियम ,करार, संविदा, टेंडर, नोटिस, संसद प्रश्न तथा संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री आदि को अनिवार्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में जारी किया जाए।
2. मूल पत्राचार हिन्दी में किया जाय।
3. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं।
4. फाइलों पर कार्य हिन्दी में किया जाय।
5. शोध ऐसे विषयों पर किया जाए जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का उन्नयन हो।

अतः समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्री महोदयजी ने उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र पर दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

भारती त्रिपाठी

सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करवाने हेतु।
5. कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रकाशन विभाग
8. शोध विभागाध्यक्ष
9. कुलपति / कुलसचिव / वित्ताधिकारी के निजी सचिव

भारती त्रिपाठी

सहायक कुलसचिव (प्रशा0)